न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 65/17
निर्णय दिनांकः 14.06.2018

1. राजेश राव पुत्र मूलचन्द राव जाति भाट(राव) नि0 मण्डपी हाल नि0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. मूलचन्द राव पुत्र गोरधन जाति भाट(राव) नि0 मण्डपी हाल नि0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी की संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी आराजी खं0नं0 9/11 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम मण्डपी प0ह0 श्रीरामपुरा तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें मूलचन्द व भगवान दोनों 1/2–1/2 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भगवान पुत्र गोरधन वादी का ताउ लगता था ओर वह अपने सगे भाई मूलचन्द के पास रहता था ओर वादी उसकी सेवा सुश्रसा, देखभाल करता था वादी की सेवाओं से भगवान पुत्र गोरधन प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में उसने 1/2 हिस्सें की आराजी दिनांक 24.10.98 को वादी के हक में वसीयत कर एक वसीयतनामा गवाहान के सामने तहरीर कराकर हस्ताक्षर कर दिये ओर वसीयतनामा प्रमाणित करा

उपखण्ड अधिकारी
सॉंभर लेक

Scanned by CamScanner

दिया। भगवान पुत्र गोरधन का दिनांक 19.11.01 को स्वर्गवास हो गया उक्त भगवान नाआलोद फौत हुआ है उसके स्वर्गवास बाद उक्त वसीयत अनुसार उसके 1/2 हिस्सें पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है व वर्तमान में काबिज काश्त है उक्त भगवान की छोड़ी हुयी 1/2 हिस्सें की आराजी से अन्य किसी का कोई सरोकार नहीं है भगवान की मृत्यु के उपरान्त उसकी क्रियाकर्म आदि समस्त कार्य वादी ने ही सम्पन्न किये थे। कुछ समय से जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी की नियत खराब हो गयी ओर भूमाफियों के बहकावें में आकर विवादग्रस्त आराजी जो 1/2 हिस्सें की स्व0 भगवान की छोड़ हुयी है का नामान्तकरण खातेदारी अपने नाम खुलवाकर सम्पूर्ण आराजी विक्रय हस्तान्तरण राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कराना चाहता है व वादी को बेदखल करना चाहता है व नाजायज लाभ अर्जित करना चाहता है। वसीयतनामा दिनांक 24.10.98 के अनुसार स्व0 भगवान पुत्र गोरधन के छोड़े हुए 1/2 हिस्सें का वादी एकमात्र मालिक व स्वामी है व काबिज है ओर उसके 1/2 हिस्सें की खातेदारी का अधिकारी है किन्तु दिनांक 17.04.17 को प्रतिवादी के अधिकृत व्यक्तियों ने भूमाफियों के साथ मिलकर भगवान की छोड़ी हुयी आराजी का 1/2 हिस्सें का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर वादी को बेदखल करने व सम्पूर्ण आराजी विक्रय कर राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने की धमकी दी व वादी के अधिकारों से इंकार किया अतः यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्रवण जाखड़ ने यू0टी0 ली। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 2 उपस्थित है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित नकल जमाबन्दी खाता सं0 48 संवत् 2069–72, नक्शा ट्रेस, वसीयतनामा फोटो प्रति दिनांक 24.10.98, मृत्यु प्रमाण पत्र भगवान की फोटो प्रति पेश की है।

वकील वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मजमेंआम में सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद निम्न निर्देश के आधार पर डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी खं0नं0 9/11 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम मण्डपी प0ह0 श्रीरामपुरा तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0 के सम्बन्ध में वाद पत्र वसीयत के आधार पर पेश किया गया जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार फुलेरा नियमानुसार नियम 135(2) के तहत जांच कर कार्यवाही करें।निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।
1 राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

जलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

राजेश   बनाम   मूलचन्द्र वगै०

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

मुकदमा नंबर 65/17

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मीकांत दाधीच व हाजरी ... . मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म देया जाता है कि वादी का वाद बाबत् घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से स आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी ख०नं० 9/11 रकबा 10 बीघा ाकै ग्राम मण्डपी प०ह० श्रीरामपुरा तह० सांभरलेक जिला जयपुर राज० के सम्बन्ध वाद पत्र वसीयत के आधार पर पेश किया गया जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार फुलेरा नियमानुसार नियम 135(2) के तहत जांच कर कार्यवाही करें। ....निज .... मुबलिग.................... .... बाबत्..................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह............ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...... ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ोहदा

ुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
हन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
तफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

ोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner